

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 21-05-2019


-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. स.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास
1.	150/2014	श्रीमती सुमन पंवार, सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.11.2036	4/146, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-927)
2.	40/2011	श्रीमती उर्मिला मीना नर्स ग्रेड-आ जे.के.लोन. अस्पताल, जयपुर	29.02.2040	4/89, गाँधीनगर (4/98, गाँधीनगर के स्थान पर)
3.	96/2011	श्री राजेश वर्मा वरिष्ठ लिपिक, अधिकाधी अभियंता (मु.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	31.05.2027	4/168, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-981)
4.	97/2011	श्री बंशीधर सैनी, कनिष्ठ लिपिक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं०-2 शास्त्री नगर, जयपुर नया कार्यालय निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ई. एस.आई. योजना, अजमेर रोड, लक्ष्मी नगर, जयपुर	31.05.2028	4/169, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-982)
5.	158/2014	श्री मनोज चौधरी, लिपिक ग्रेड-आ, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	28.02.2044	4/28, गाँधीनगर
6.	98/2011	श्री अनिल कुमार, नर्स ग्रेड-आ सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	28.02.2043	4/43, गाँधीनगर
7.	99/2011	श्री नरेन्द्र कुमार जलुथरिया, वरिष्ठ लिपिक राज० पौद्धार उ० मा० विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर	31.01.2034	4-ए-18, बहुमजिला, गाँधीनगर
8.	101/2011	श्रीमती मधुबाला शर्मा ए.एन.एम जनाना अस्पताल जयपुर	30.06.2020	4/48, गाँधीनगर
9.	163/2014	श्री बाल कृष्ण धामनिया वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2025	4/51, गाँधीनगर
10.	103/2011	श्री अरुण कुमार जैन वरिष्ठ लिपिक अधिकाधी अभियंता सा.नि.वि. नगर खण्ड-आ, जयपुर	31.07.2028	4/55, गाँधीनगर
11.	104/2011	श्रीमती विनोद कुमारी मीना, नर्स ग्रेड-आ, जे.के.लोन. अस्पताल, जयपुर	30.06.2045	4/63, गाँधीनगर
12.	105/2011	श्री अनिल कुमार कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	31.08.2031	4/68, गाँधीनगर
13.	166/2014	श्री कपिल पारीक, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	28.02.2043	4/73, गाँधीनगर
14.	106/2011	श्रीमती सुनीता, नर्स ग्रेड-आ, जे.के.लोन. अस्पताल, जयपुर	30.04.2042	4/78, गाँधीनगर
15.	107/2011	श्री दिनेश सिंह राजावत, कनिष्ठ लिपिक, सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर	31.05.2027	4/95, गाँधीनगर
16.	108/2011	श्री मनोज कौशिक, शीघ्र लिपिक अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-14, जयपुर महानगर, जयपुर	31.03.2032	4/96, गाँधीनगर



17.	168 / 2014	श्री विकास श्रीवास्तव, सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	28.02.2030	4 / 97, गाँधीनगर
18.	109 / 2011	श्रीमती मनीषा नर्स ग्रेड-II, जे.के.लोन. अस्पताल, जयपुर	31.07.2044	4 / 100, गाँधीनगर
19.	110 / 2011	श्री सम्पत राम, कनिष्ठ लिपिक, ए.टी.एस., जयपुर	31.07.2032	4-ए-20, बहुमंजिला, गाँधीनगर
20.	111 / 2011	श्री मुकेश सैनी, कनिष्ठ लिपिक, वन विभाग, जयपुर	31.10.2032	4 / 110, गाँधीनगर
21.	192 / 2014	श्री पवन कुमार गोस्वामी, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2042	4 / 69, गाँधीनगर
22.	112 / 2011	श्रीमती बीना गुप्ता, अध्यापिका, राज० उ० प्रा० विद्यालय, लाल कोठी, जयपुर	31.12.2030	4 / 115, गाँधीनगर
23.	114 / 2011	श्री मुकेश महिपाल, कनिष्ठ लिपिक, राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, जयपुर	31.10.2023	4 / 123, गाँधीनगर
24.	118 / 2011	श्री नरेश कुमार गुप्ता हास्टल वार्डन इ०गा०प०रा० संस्थान, जयपुर	31.08.2026	4 / 127, गाँधीनगर
25.	200 / 2014	श्री राजकुमार भार्गव, वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-3/निरी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2050	4-बी-10, बहुमंजिला गाँधीनगर
26.	119 / 2011	श्री सुरेश कुमार थावानी आशुलिपिक जल संसाधन विभाग, जयपुर	31.03.2032	4 / 132, गाँधीनगर
27.	121 / 2011	श्री उमेश चन्द्र सेठी कनिष्ठ लिपिक अधिकांश अभियंता सा०नि०वि० विद्युत खण्ड जयपुर	30.09.2026	4 / 133, गाँधीनगर
28.	122 / 2011	श्री राजेन्द्र कुमार जैन कनिष्ठ लिपिक राज० मा० विद्यालय, लक्ष्मण डूंगरी, जयपुर	31.07.2023	4 / 134, गाँधीनगर
29.	201 / 2014	श्री जोगेन्द्रा सिंह, वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-4/1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2045	4 / 137, गाँधीनगर
30.	123 / 2011	श्री राजकुमार जैन कनिष्ठ लिपिक ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2022	4-ए-21, बहुमंजिला, गाँधीनगर
31.	124 / 2011	श्री रेखा गुप्ता नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	28.02.2027	4-बी-21, बहुमंजिला, गाँधीनगर
32.	125 / 2011	श्रीमती मंजरी रस्तोगी अध्यापिका राज० उ० प्रा० विद्यालय झाटी करोलान, जयपुर	30.11.2036	4-सी-04, बहुमंजिला, गाँधीनगर
33.	202 / 2014	श्री पुष्कर राज जाटव वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2049	4-सी-16, बहुमंजिला, गाँधीनगर
34.	126 / 2011	श्री बालकिशन शर्मा वाहन चालक भू जल विभाग, जयपुर	31.12.2026	4-सी-17, बहुमंजिला, गाँधीनगर
35.	127 / 2011	श्रीमती मिनीमोल डी नर्स ग्रेड-II राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर	31.05.2029	4-डी-10, बहुमंजिला, गाँधीनगर
36.	128 / 2011	श्री कमलेश शर्मा कम्पाउण्डर ग्रेड-II होम्योपैथिक चिकित्सा निदेशालय, जयपुर	30.06.2034	4-डी-12, बहुमंजिला, गाँधीनगर



शर्तें -

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
10. क्रम संख्या 7, 19, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एवं 36 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से.


४०

(चन्दा लाल मीना)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कामिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार/जे के लोन अस्पताल/जनाना चिकित्सालय, चौदपोल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. अधिशाषी अभियन्ता, मुख्य/नगर खण्ड-1/विद्युत खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ई.एस.आई. योजना, अजमेर रोड, लक्ष्मी नगर, जयपुर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्धार उ० मा० विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.)/ए.टी.एस. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), अपर सिविल न्यायाधीश (कख.) अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-14, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. प्रधानाध्यापक, राजकीय उ० प्रा० विद्यालय, लाल कोठी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. सहायक वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज, संस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
15. निदेशक, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
16. प्रधानाध्यापक, राजकीय मा० विद्यालय, लक्ष्मण डूंगरी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
17. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
18. प्रधानाध्यापक, राज० उ० प्रा० विद्यालय, झाटी करोलान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।

19. निदेशक, भू जल विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
20. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
21. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
22. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
23. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
24. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
25. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
26. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
27. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
28. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
29. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
30. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
31. रक्षित पत्रावली।


 उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर